न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः– 330/18 आर सी एम एच नं. 2018/00224

1. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्र स्व. गुल्लाराम पत्नी जगदीश प्रसाद, जाति जाट निवासी स्कूल के पीछे की ढाणी, मानपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बंशीधर पुत्र गुल्ला राम,
2. श्रवणी देवी पत्नी गुल्लाराम जातियान जाट निवासीयान ग्राम राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये ग्राम पंचायत हाल सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.05.2018 (प्रकरण संख्या 3/17) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा एक अपील दिनांक 16.03.2017 को अपील संख्या 3/17 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष ग्राम राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 36 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा जो अपीलान्ट्स के पिता गुल्ला पुत्र श्योसहाय जाति जाट की खातेदारी में दर्ज थी जिसका स्वर्गवास दिनांक 22.12.1995 को हो चुका है जिसका फौती नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बंशीधर पुत्र गुल्लाराम व श्रवणी देवी पत्नी गुल्लाराम के नाम नामान्तरकण संख्या 485 दिनांक 08.11.1996 को आपस में मिलीभगत कर नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया गया जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की गई तथा अपील के साथ विलम्ब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही तस्दीक किया गया था अपीलान्ट जब दिनांक 10.12.2016 को हंसा देवी पुत्री बंशीधर के विवाह में शरीक होने गयी तो स्वयं के पिता की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत प्रार्थीया की माता ने बताया तथा झगड़ा विवाद कर घर से

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तथा नोटिस तलबी हेतु जारी किये गये, दिनांक 24.05.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प राजपुरवास ताला में पेश हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपस्थित नही होने के कारण पत्रावली आगामी तारीख पेशी में सुनवाई हेतु नियत की गई तथा दिनांक 22.05.2018 को राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश करने पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये विधि विरूद्ध तौर पर अपील खारिज फरमा दी गई। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 08.11.1996 को विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक किया गया था ऐसे में नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही प्रभावशुन्य है जिसको चुनौती देने बाबत समय सीमा निर्धारित नही है तथा अपीलान्ट मृतक की पुत्री है जिसके नाम विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना अति आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था जिसके जवाब में न तो कोई प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किया गया, बिना विरोध होते हुये भी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अहम कानूनी भूल की गई है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि पूर्व कैम्प दिनांक 24.05.2017 को पत्रावली को निर्णित नही किया जाकर न्यायिक प्रक्रिया हेतु पत्रावली न्यायालय हाजा में नियत की गई, द्वितीय कैम्प दिनांक 22.05.2018 को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही व बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे अहम कानूनी भूल की है, इस कारण निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया किया है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को लोक अदालत में उपस्थित होने का कोई नोटिस नही दिया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 06.07.2018 बतायी गयी थी, दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित होने पर जानकारी हुई कि पत्रावली का निर्णय पूर्व में ही किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 08.11.1996 एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 06.04.2018 को उक्त पत्रावली वास्ते तलबी हेतु नियत होकर पत्रावली दिनांक 27.04.18 को पेश होने के आदेश हुऐ तथा दिनांक 27.04.18 को पत्रावली में क्या कार्यवाही हुई इस सम्बन्ध में कोई आदेशिका न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है तथा पत्रावली सीधे ही दिनांक 22.05.18 को कैम्प न्याय आपके द्वार राजपुरवास ताला में प्रस्तुत होकर निर्णित की गई है जबकि दिनांक 22.05.18 को कैम्प आपके द्वार राजपुरावास ताला में पेश होने बाबत पक्षकारान को सूचित करने सम्बन्धी कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है एवं ना ही पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 को लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रतीत नही होता है जिंसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।